(1)

(168)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक निग. R 1192-एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.02.2012 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 170/अपील/2010-11.

---

1. संजीव कुमार मेहरा आ. स्व. श्री मोतीलाल मेहरा
   निवासी ग्राम नगतरा तह. सोहागपुर,
   जिला होशंगाबाद, म.प्र.
2. ओम प्रकाश आ. फागुलाल चौधरी
   निवासी ग्राम नगतरा तह. सोहागपुर
   जिला होशंगाबाद, म.प्र.
3. रूस्तमलाल आ. बालचंद चौधरी
   निवासी ग्राम नगतरा तह. सोहागपुर
   जिला होशंगाबाद, म.प्र.
4. प्रेमशंकर आ. भगवानदास मेहरा
   निवासी ग्राम नगतरा तह. सोहागपुर
   जिला होशंगाबाद, म.प्र.
5. नारायण प्रसाद आ. छोटेलाल मेहरा
   निवासी ग्राम नगतरा तह. सोहागपुर
   जिला होशंगाबाद, म.प्र.
6. प्रेमशंकर मेहरा आ. राज मेहरा
   निवासी ग्राम नगतरा तह. सोहागपुर
   जिला होशंगाबाद, म.प्र.

.....आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती मंजू मेहरा पत्नि रामेश्वर मेहरा
निवासी ग्राम नगतरा, तह. सोहागपुर
जिला होशंगाबाद, म.प्र.

.....अनावेदक

(2)

श्री कुंवरसिंह कुशवाह, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/8/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 21.02.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम नगतरा के ग्राम कोटवार श्री शंकरसिंह मेहरा को तहसीलदार, सोहागपुर ने आदेश दिनांक 31.08.2010 अनुसार संहिता की धारा 230 के नियम 6 अंतर्गत वृद्धावस्था के कारण कर्तव्यों के क्रियान्वयन ठीक ढंग से न करने के कारण त्यागपत्र (स्वैच्छिक) स्वीकृत किया गया और रिक्त ग्राम कोटवार के पद हेतु पात्रतानुसार दिनांक 21.09.2010 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये। तदुपरांत अनावेदिका श्रीमती मंजू मेहरा, आवेदक श्री ओमप्रकाश, श्री रूस्तमलाल अहिरवार एवं अन्य दो आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 02/अ-56/09-10 में पारित आदेश दिनांक 25.11.2010 अनुसार श्रीमती मंजू पत्नि श्री रामेश्वर मेहरा को ग्राम नगतरा का स्थायी कोटवार नियुक्ति आदेश जारी किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सोहागपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23.05.2011 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया कि उभय पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर विधिवत आदेश पारित किया जाये। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका श्रीमती मंजू मेहरा द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 21.02.2012 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) तहसीलदार, सोहागपुर के द्वारा मूल प्रकरण की कार्यवाही में एक ही दिनांक 21.09.2010 को अलग-अलग पत्र क्र. 460/री/2010 व क्र. 505/री/2010 जारी कर प्रकरण में प्रथम दृष्टया ही अनियमितता की है। इस कारण उक्त पारित आदेश दिनांक 25.11.2010 संदेहपूर्ण होने के कारण निरस्त किया जाना चाहिए।

(2) तहसीलदार द्वारा ग्राम पंचायत नगतरा के खारिज प्रस्ताव दिनांक 18.10.2010 में काट-छाँट करवाकर गैर कानूनी तरीके से अनावेदिका मंजू मेहरा के पक्ष में पक्षपातपूर्ण कार्यवाही करते हुए व कूट रचना करते हुए सरपंच द्वारा अस्वीकार व खारिज प्रस्ताव को नियुक्तिका आधार मानते हुए उसे ग्राम कोटवार नियुक्त करने का जो आदेश दिनांक 25.11.2010 पारित किया है, वह अवैधानिक व गैर कानूनी आदेश है, जो अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवधिपूर्ण व सारवान अनियमितता की है, जिसे निरस्त किया जाना चाहिए।

(3) अनावेदिका मंजू मेहरा द्वारा जो आवेदन पत्र ग्राम कोटवार भर्ती हेतु प्रस्तुत किया गया है, उसमें कोई दिनांक अंकित नहीं है न ही स्टाम्प शुल्क चश्पा है और न ही योग्यता के संबंध में कोई दस्तावेज संलग्न है और न ही पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त करने की तारीख व इनिशियल (लघु हस्ताक्षर) अंकित नहीं है। ऐसे अपूर्ण आवेदन के आधार पर की गई नियुक्ति लापरवाही व मनमाने तरीके से की गई नियुक्ति है, जो न्यायहित के विरूद्ध है। इस कारण उक्त नियुक्ति आदेश 25.11.2010 निरस्त किया जाना चाहिए।

(4) तहसीलदार द्वारा पूर्ण प्रकरण की कार्यवाही में हल्का पटवारी को तथा थाना प्रभारी सोहागपुर को रिपोर्ट पेश करने हेतु कोई सूचना पत्र जारी नहीं किये गये, जो मूल प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में हल्का पटवारी द्वारा अनावेदिका से मली भगत कर उसके पक्ष में बिना सूचना पत्रप्राप्त किये रिपोर्ट पेश करना और थाना प्रभारी द्वारा बिना सूचना पत्र के अनावेदिका के पक्ष में पुलिस सत्यापन रिपोर्ट तैयार करना पूर्णत: संदेहपूर्ण व अवैधानिक कार्यवाहियां हैं, जो न्यायहित के विरूद्ध है। इस कारण विवादित आदेश दिनांक 25.11.2010 निरस्त किया जाना चाहिए।

(5) ग्राम पंचायत सचिव गंगाराम अहिरवार ग्राम नगतरा और सरपंच ग्राम नगतरा द्वारा दिनांक 30.10.2010 को उपस्थित होकर प्रकरण में प्रस्ताव और आवेदन पुन: ईश्तहार जारी करने हेतु प्रस्तुत कर अपने हस्ताक्षर अंकित किये थे। वह मूल आदेशिकायें भी गैर कानूनी तरीके से फाड़कर फेंक दी गई और पीठासीन अधिकारी द्वारा तथा कथित अन्य व्यक्ति से मिलकर

(5)

अनावेदिका के पक्ष में जमा-जमा कर दिनांक 06.09.2010, 21.09.2010 एवं 29.09.2010 की आदेशिकायें लिखवाकर आनन-फानन में भ्रष्टता पूर्ण तरीके से अवैधानिक कार्यवाही करते हुए अनावेदिका के पक्ष में विधिवत प्रक्रिया के पालन किये बिना जो आदेश पारित किया है, वह न्यायहित के विरूद्ध होकर अवैधानिक है, जिसकी जांच की जाकर न्यायहित में निरस्त किया जाना चाहिए।

(6) आवेदक संजीव कुमार मेहरा पूर्व ग्राम कोर्टवार का निकट संबंधी व भतीजा है तथा रक्त संबंधी है और 23 वर्ष उम्र पूरी कर चुका है तथा उसका चरित्र भी पुलिस रिपोर्ट के अनुसार उत्तम है तथा ग्राम पंचायत की राय व अनुशंसा उसके पक्ष में है। ऐसी स्थिति में उसे ग्राम नगतरा का स्थाई कोटवार नियुक्त किया जाना चाहिए था, जो न करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने बहुत बड़ी कानूनी भूल की है।

अत: उनके द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का विवादित आदेश दिनांक 21.02.2012 और तहसीलदार का विवादित कोटवार नियुक्ति आदेश दिनांक 25.11.2010 निरस्त कर आवेदक संजीव कुमार मेहरा को ग्राम नगतरा का स्थायी ग्राम कोटवार नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश विधिसंगत आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा बहुमत के आधार पर सदस्यों की सहमति के आधार पर तथा तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 230 के अंतर्गत कोटवार नियुक्ति नियम 4 के अनुसार विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुये अनावेदिका मंजू मेहरा पत्नि रामेश्वर मेहरा की कोटवार पद पर नियुक्ति की गई है। इस संबंध में आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उठाये गये सभी बिन्दुओं पर विस्तार से विचार कर निष्कर्ष निकाले हैं, जिनमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-2-2012 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर